रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-09012020-215274
CG-DL-E-09012020-215274

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3 उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 94] नई दिल्ली, मंगलवार, जनवरी 7, 2020/पौष 17, 1941
No. 94] NEW DELHI, TUESDAY, JANUARY 7, 2020/PAUSHA 17, 1941

विद्युत मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 दिसम्बर, 2019

का.आ. 102(अ).—सार्वजनिक स्थल (अनाधिकृत अधिभोगियों की बेदखली) अधिनियम, 1971 (1971 का 40) की धारा-3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार की नीचे दी गई अधिसूचना संख्या एसओ 1257 दिनांक 27 मार्च, 2002 के अधिक्रमण में, जहां तक कि यह क्रम सं. 5 (दी गई तालिका में) तथा हरियाणा राज्य में फरीदाबाद गैस पावर प्रोजेक्ट, एनटीपीसी लिमिटेड के संबंध में इसकी संबंधित प्रविष्टियों से संबंधित है, केंद्र सरकार एतदद्वारा नीचे दी गई तालिका के कॉलम (1) में उल्लिखित अधिकारी, जो कि भारत सरकार के राजपत्रित अधिकारी के रैंक के समतुल्य हैं, को उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए संपदा अधिकारी के रूप में नियुक्त करती है, जो उक्त तालिका के कॉलम (2) में संबंधित प्रविष्टि में निर्दिष्ट सार्वजनिक परिसरों की श्रेणियों के संबंध में, अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर उक्त अधिनियम द्वारा अथवा उसके अंतर्गत संपदा अधिकारी को दी गई शक्तियों का प्रयोग करेंगे तथा सौंपे गए उत्तरदायित्वों का निर्वहन करेंगेः

तालिका

अधिकारी का पदनाम	सार्वजनिक परिसर तथा अधिकार क्षेत्र की स्थानीय सीमाएं
(1)	(3)
अनुभाग प्रमुख (कर्मचारी सेवा/प्रशासन), फरीदाबाद गैस पावर स्टेशन	एनटीपीसी लिमिटेड से संबंधित या उसके द्वारा पट्टे पर लिए गए तथा इसके फरीदाबाद गैस पावर स्टेशन, जिला- फरीदाबाद, हरियाणा के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन सभी परिसर।

[फा.सं. 19/32/2015-थर्मल-I]

विवेक कुमार देवांगन, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF POWER

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th December, 2019

S.O. 102(E).— In exercise of the powers conferred by section 3 of the Public Premises (Eviction of Unauthorised Occupants) Act, 1971 (40 of 1971) and in supersession of the following notification of the Government of India in the Ministry of Power number S.O. 1257, dated the 27th March, 2002, in so far as it relates to serial number 5 (in the Table therein) and the entries relating thereto in respect of the Faridabad Gas Power Project, NTPC Limited in the State of Haryana, the Central Government hereby appoints the officer mentioned in column (1) of the Table below, being equivalent to the rank of Gazetted Officer in the Government of India, to be Estate Officer for the purposes of the said Act, who shall exercise the powers conferred and perform the duties imposed on Estate Officer by or under the said Act, within the local limits of jurisdiction in respect of the categories of public premises specified in the corresponding entry in column (2) of the said Table, namely:-

TABLE

Designation of the officer	Categories of public premises and local limits of jurisdiction
(1)	(2)
Sectional Head (Employee Services/Administration), Faridabad Gas Power Station.	All premises belonging to or taken on lease by NTPC Limited and under the administrative control of its Faridabad Gas Power Station, District-Faridabad, Haryana.

[F. No. 19/32/2015-Th.I]

VIVEK KUMAR DEWANGAN, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

MANOJ KUMAR VERMA Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA Date: 2020.01.09 23:06:16 +05'30'